मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल म.प्र.

भोपाल,दिनांक 21 .11.16

क्रमांक / 2902 / 2778 / 2016 / 50–2

प्रति,

कलेक्टर,
जिला–समस्त (म.प्र.)

विषयः– शहरी क्षेत्र की आंगनवाडी केन्द्रों में स्व सहायता समूहों के माध्यम से पूरक पोषण आहार व्यवस्था के संबंध में।

संदर्भः– मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेश क्र.एफ 4–5 / 2014 / 50–2,दिनांक 24.2.14,पत्र क्र.26 / 2126 / 14 / 50–2, दिनांक 03.01.15, एवं पत्र क्र. 1854 / 2132 / 16 / 50–2, दिनांक 05.08.16 एवं संचालनालयीन पत्र क्र. / पो.आ. / 4468 / 15, दिनांक 7.11.15।

....

ग्रामीण क्षेत्र की आंगनवाड़ी केन्द्रों में सांझा चूल्हा कार्यक्रम अंतर्गत मध्यान्ह भोजन प्रदाय करने वाले स्व सहायता समूहों के माध्यम से पूरक पोषण आहार प्रदाय किये जाने का प्रावधान है । मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के आँदेश क्र.एफ 4–5 / 2014 / 50–2,दिनांक 24.2.14 की कण्डिका 5.3 के अनुसार स्व सहायता समूह यथासंभव एक पृथक रसोईये को आंगनवाड़ी केन्द्र हेतु नामांकित करेंगा,जिसे रू.500 / – प्रतिमाह की पारिश्रमिक राशि दी जाएगी । जहां यह संभव नहीं है वहां मध्यान्ह भोजन योजना के रसोईये को ही नामांकित किया जा सकेगा । यह राशि मध्यान्ह भोजन के अनुरूप जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सीधे रसोईये के खाते में भेजी जाएगी ।

पूरक पोषण आहार व्यवस्था पर प्रतिहितग्राही प्रतिदिवस होने वाले समस्त व्यय में पोषण आहार निर्माण + कच्ची सामग्री + गेहूँ /चावल + परिवहन + परिश्रमिक + प्रबंधकीय व्यय + लाभांश + रसोईए का परिश्रमिक + ईधन + एमएमई की राशि शामिल रहती है।

शहरी क्षेत्र की आंगनवाडी केन्द्रों में रसोईये को पारिश्रमिक राशि दिए जाने के संबंध में स्पष्ट निर्देश नही होने के कारण विभिन्न जिलों में अलग–अलग व्यवस्था अपनाई जा रही है । उक्त संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि शहरी क्षेत्र की आंगनवाडी केन्द्रों में रसोईये को पृथक से राशि का भुगतान किये जाने की आवश्यकता नही है । अतः शहरी क्षेत्र की आंगनवाडी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार की निर्धारित प्रतिहितग्राही प्रतिदिवस की राशि में से गेहूँ/चावल की राशि का समायोजन करने के उपरान्त शेष राशि प्रदायकर्ता स्व सहायता समूहों के खाते में सीधे भुगतान की जावें।

(रवीन्द्र सिंह)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग

Jan-Lat-2016

पृष्ठां.क्रमांक / 2903 / 2778 / 2016 / 50–2 भोपाल,दिनांक 21.11.16

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त,संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा (म.प्र.) भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. संभागीय संयुक्त संचालक,एकीकृत बाल विकास सेवा संभाग समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. जिला कार्यक्रम अधिकारी,एकीकृत बाल विकास सेवा,जिला–समस्त (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. समस्त परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना जिला समस्त म.प्र. की ओर पालनार्थ ।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग

Jan-Lat-2016